सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-540/2020/984/22-2-2020-17(382)/2020

लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, देवरिया** में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी कमला सिंह (बन्दी संख्या-121/2006) पुत्र श्री बैजनाथ सिंह, निवासी-रानी घाट, थाना-कोतवाली देवरिया, जनपद-देवरिया,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-359/1988** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-147, 148, 302/149** के अधीन **दिनांक 30.03.2001** को **मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष सं0-8), देवरिया** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की आयु, 14 वर्ष 05 माह 18 दिन काटी गयी अपरिहार सजा, सामान्य जेल आचरण तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-540/2020/984(1)/22-2-2020 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
3- पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in